

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग

॥ अधिसूचना ॥

संख्या—सं०का०—१ / वि०मं०(सदस्यों)४०२३ / २००६—१३७५ / पटना, दिनांक— २९.१२.२००६

बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, २००६ (अधिनियम सं०—१६, २००६) की धारा ८ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली—२००६ का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

**बिहार विधान मण्डल (सदस्या का वेतन, भत्ता एवं पेंशन) (द्वितीय—संशोधन)
नियमावली — २००६**

१. **संक्षिप्त नाम आरम्भ।** — (१) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (द्वितीय—संशोधन) नियमावली, २००६ कही जा सकेगी।
(२) यह मूल नियमावली की अधिसूचना की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त समझी जायगी।
२. **उक्त नियमावली, २००६ क नियम—८ (घ)(i) में संशोधन** — उक्त नियमावली के द्वितीय पंक्ति में, शब्द “एवं” को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है तथा नियम ८(घ) के स्पष्टीकरण की अंतिम पंक्ति में, शब्द “बढ़े” शब्द “पड़े” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।
३. **उक्त नियमावली, २००६ क नियम—९(१)(क) क द्वितीय परन्तुक में संशोधन** — नियम ९(१)(क) के द्वितीय परन्तुक की पांचवी पंक्ति में, शब्द “तथा” शब्द “अथवा” के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(अखिलेश्वर प्रसाद गिरि)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—सं०का०—१ / वि०मं०(सदस्यों)४०२३ / २००६—१३७५ / दिनांक— २९.१२.२००६

प्रतिलिपि—महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव / मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव / सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव / वित्त विभाग / विधि विभाग / सरकार के सभी विभाग / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—सं०का०—१ / वि०मं०(सदस्यों)४०२३ / २००६—१३७५ / दिनांक— २९.१२.२००६

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

२. अधिसूचना की १००० (एक हजार) मुद्रित प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सरकार के सचिव।